न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
अर्न्तगत धाराः— 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः—73 / 2019

1. कुलविन्द्रसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया। —वादी

बनाम

1. जरनैलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
2. सर्वजीतकौर पुत्री जरनैलसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। —प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीतसिंह कलसी प्रतिवादी संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक :— 10.06.2019**

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया जिसमें वाद की सही स्थिति समझने हेतु वंशावली निम्नानुसार हैः—

जरनैलसिंह पुत्र हरिसिंह

कुलविन्द्रसिंह (पुत्र) सर्वजीतकौर (पुत्री),

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी चक नं. 2 एसटीपी खाता संया 143 / 126 खाता चड़सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में तथा इसी चक के खाता संख्या 144 / 17 खाता चड़सिंह वगैरा में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के उक्त खातों की जमाबन्दीयां संलग्न वादपत्र है जो वाद का आधार है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 जरनैलसिंह पुत्र हरिसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिनके वारिसान उनके पुत्र वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ही है। उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का उनके पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही बहिब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं है । फार्म नं. 3 के साथप्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी तेजकौर पत्नी जरनैलसिंह जाति जट सिख निवासी हरिपुरा का सहमति का शपथ—पत्र मय आईडी के पेश किया है जिसे शामिल मिसल किया गया। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है।

वादपत्र की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है,इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तलबी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व अपने–अपने जवाब दावे पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजी की वादी के नाम डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई ऐतराज नहीं है। जवाब दावा के साथ प्रतिवादीगण ने आईडी की चित्रप्रतियां पेश की है जिन्हे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कुलविन्द्रसिंह का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसमें जमाबन्दी चक नं. 2 एसटीपी के खाता संख्या 143/126 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 प्रदर्श–1 व चक नं.2 एसटीपी के खाता संख्या 144/17 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 प्रदर्श 2 करवाई गई। वादपत्र में वादी ने जरनैलसिंह का वारिसनामा की चित्रप्रति फार्म नं.3 के साथ पेश की है शामिल मिसल किया गया। पैतृक सम्पति का साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरिसिंह के फौत होने के उपरान्त उनसे वादीगण के नाम से दर्ज विरास्तन नामान्तरण की प्रति पेश की है । जवाब स्टेट प्रस्तुत शामिल मिसल हो।

वकील वादी ने बहस में कथन किया कि वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है जिसका दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तरण की प्रति पेश जिससे यह प्रकट है कि वादगत आराजी वादी को उसे विरास्तन प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पिता हरिसिंह से प्राप्त हुई। जमाबन्दी से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति पर वादी घरू बंटवारे के आधार पर लम्बे समय से आराजी पर काश्त कर रहा है। वादपत्र में वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी का कब्जा होना स्वीकार किया। साथ में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण का आपस में घरू बंटवारा हो गया है,प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाब दावा के मुताबिक वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पिता हरिसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनकी मृत्यु होने के उपरान्त उसे विरास्तन प्राप्त होने से पैतृक सम्पति साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है, आपस में घरू बंटवारा हो चुका है, इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 2 एसटीपी के खाता संख्या 143/126 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता चड़सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता संख्या 144/17 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता चड़सिंह वगैरा में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 जरनैलसिंह पुत्र हरिसिंह का नाम उक्त खातों में से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी के नाम से उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड धिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–73 / 2019

1. कुलविन्द्रसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया। –वादी

बनाम

1. जरनैलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
2. सर्वजीतकौर पुत्री जरनैलसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीतसिंह कलसी़ प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 2 एसटीपी के खाता संख्या 143 / 126 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता चड़सिंह वगैरा तथा इसी चक के खाता संख्या 144 / 17 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता चड़सिंह वगैरा में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 जरनैलसिंह पुत्र हरिसिंह का नाम उक्त खातों में से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी के नाम से उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.06.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड धिकारी,संगरिया